न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

Ag – 1993 – I – 16

राजस्व पुनरीक्षण प्रकरण कमांक /2016 जिला जबलपुर

शेखर प्रसाद कोल पिता स्व. श्री हरीसिंह कोल
निवासी ग्राम सालीवाड़ा तहसील
व जिला जबलपुर ---- पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक

विरूद्ध

1. श्रीमती महेन्द्र कौर अठवाल पत्नि
स्व. श्री जितेन्द्र सिंह अठवाल
निवासी चौथा मील मण्डला रोड तिलहरी
तहसील व जिला जबलपुर
2. म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, जिला जबलपुर --- और पुननरीक्षणकर्ता/अनावेदकगण

रिविजन अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा. संहिता, 1959

पुनरीक्षणकर्ता/आवेदकगण निम्नलिखित निवेदन करता है कि :-

आवेदक द्वारा कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक कमांक 358/अ-21/2013 14 में पारित आदेश दिनांक 30.05.2016 से व्यथित होकर निम्न वर्णित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत की गई है :-

रिवीजन के तथ्य

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किए जाने योग्य है ।
2. यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदक के पिता द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम पिपरिया खुर्द नं.बं. 182 प.ह.नं. 49 पुराना 67 रा.नि.मं. खमहरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 144 एवं 145 रकबा कमशः 0.430 एवं 0.860 कुल रकबा 1.290 हैक्टर भूमि अनावेदक/गैर आदिम जनजाति के सदस्य श्रीमती महेन्द्र कौर अठवाल पति स्व. श्री जे.एस. अठवाल को विक्रय करना चाहता है, अतः विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जावे । उक्त आवेदन जिलाध्यक्ष ने आदेश दिनांक 10-07-2014 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन अभिमत सहित भेजने के निर्देश दिए गए । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जांच कर

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 1993–एक / 16 जिला जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-8-16	आवेदक अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित द्वारा सी0पी0सी0 की धारा 151 सहपठित धारा 32 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता पर प्रकरण आज लिया गया । उनके द्वारा बताया गया कि इस न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक निग0 1993 -एक / 16 में पारित आदेश दिनांक 24–6-16 में आदेश के अंतिम पृष्ठ पर खसरा नं. 144 एवं 145 रकबा कमशः 0.430 एवं 0.860 कुल रकबा 1.290 टाइप हो गया है, जबकि आवेदक द्वारा खसरा नं. 144 एवं 145/2 रकबा कमशः 0.430 एवं 0.830 कुल रकबा 1.260 की अनुमति चाही गई थी । अतः उक्त त्रुटि को सुधारा जाना न्यायहित में आवश्यक है । आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं मूल प्रकरण का अवलोकन किया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताई गई त्रुटि की पुष्टि अभिलेख से होती है । अतः न्यायहित में यह निर्देश दिए जाते हैं कि इस न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में दिनांक 24-6-2016 को पारित आदेश के अंतिम पृष्ठ की 9 एवं 10 वीं लाइन खसरा नं. 144 एवं 145 रकबा कमशः 0.430 एवं 0.860 कुल रकबा 1.290 के स्थान पर खसरा नं. 144 एवं 145/2 रकबा कमशः 0.430 एवं 0.830 कुल रकबा 1.260 पढ़ा जावे । यह आदेश मूल आदेश का अंग माना जायेगा । सदस्य	